न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 12.07.2021

अपील संख्या 2021/90

उनवान

1– प्रेम सिंह आयु 40 वर्ष पुत्र मथुरालाल
2– हरिनारायण आयु 35 वर्ष पुत्र मथुरालाल
3– देवेन्द्र कुमार आयु 28 वर्ष पुत्र मथुरालाल
4– ललित आयु 22 वर्ष पुत्र मथुरालाल
5– भूपेन्द्र आयु 20 वर्ष पुत्र मथुरालाल
6– धन्नी आयु 60 वर्ष पत्नी मथुरालाल, जाति भील, निवासीगण गोरधनपुरा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान हाल मुकाम पीथपुर, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– बदेसिंह आयु 50 वर्ष पुत्र गोपाल, जाति भील, निवासी पतलोन, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राजस्थान)
2– नारायण आयु 47 वर्ष पुत्र गोपाल, जाति भील, निवासी पतलोन, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड (राजस्थान)
3– छोटूलाल आयु 45 वर्ष पुत्र गोपाल
4– छीतरलाल आयु 50 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
5– रामकिशन आयु 45 वर्ष पुत्र प्रभूलाल
6– भूलीबाई आयु 70 वर्ष पत्नी प्रभूलाल
7– पन्सूरीबाई आयु 40 वर्ष पुत्री प्रभूलाल पत्नी
8– घासी आयु 40 वर्ष पुत्र कंवरलाल, जाति भील, निवासी कलमोदिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
9– रामदयाल आयु 35 वर्ष पुत्र कंवरलाल, जाति भील, निवासी कलमोदिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
10– कंवरीबाई आयु 78 वर्ष पत्नी कंवरलाल, जाति भील, निवासी कलमोदिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
11– तुलसा आयु 25 वर्ष पुत्री रामचन्द्र पत्नी जाति भील, निवासी कलमोदिया हाल मुकाम देवरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
12– भगवती आयु 24 वर्ष पुत्री रामचन्द्र पत्नी जाति भील, निवासी कलमोदिया हाल मुकाम देवरी, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड राजस्थान
13– कजोडी बाई आयु 40 वर्ष पुत्री गोरिया पत्नी बलराम, निवासी कोटडा भगवान, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
14– सुन्दरबाई आयु 35 वर्ष पुत्री गोरिया पत्नी रंगलाल, जाति भील, निवासी टांडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
15– फूलचन्द आयु 40 वर्ष पुत्र कन्हैयालाल, जाति भील, निवासी बाबड, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान
16– स्टेट आफ राजस्थान जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री आर.पी.गोयल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 21.05.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 111/दावा/2015 निर्णय दिनांक 07.08.2008 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री में प्रकरण संख्या 92/2017 दिनांक 12.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि आराजी खसरा नं. 319 रकबा 1 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नं. 320 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 322 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 334 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 336 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 343 रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 427 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 440 रकबा 05 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 10 बीघा 02 बिस्वा वाके माल गोरधनपुरा में स्थित है। जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 77 सम्वत 2058 से 2061 गोपाल, प्रभूलाल, कंवरलाल, रामचन्द्र, मथुरालाल पुत्र गोटिया, कजोडी बाई, सुन्दर बाई पुत्रियां गोटिया एवं केदार बाई बेवा गोटिया के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 58 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 61 रकबा 18 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 63 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 8 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 41 बीघा 01 बिस्वा वाके माल राजपुरा खालसा, तहसील छीपाबडोद में वाके है जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 37 सम्वत 2059 से 2062 गोपाल, प्रभूलाल, मथुरालाल, कंवरलाल, रामचन्द्र, पुत्र गोटिया, कजोडी बाई, सुन्दर बाई पुत्रियां गोटिया एवं केसर बाई बेवा गोटिया, जाति भील, निवासीगण गोरधनपुरा के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। आराजी खसरा नम्बर 13/250 रकबा 6 बीघा, खसरा नम्बर 14 रकबा 09 बिस्वा वाके माल बाबड में स्थित है जो प्रतिवादी गोपाल, प्रभूलाल, मथुरालाल पुत्र गोटिया, कजोडी बाई, सुन्दर बाई पुत्रियां गोटिया एवं केसर बाई बेवा गोटिया, जाति भील, निवासीगण गोरधनपुरा के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है एवं कंवरलाल, रामचन्द्र के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 13 फूलचन्द का नाम दर्ज हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.07.2017 से विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम गोरधनपुरा का पक्षकारान के मध्य पृथक पृथक विभाजन किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि डिक्री व निर्णय अधीनस्थ न्यायालय रूऐदाद बेमिसल आरवेट्रेटरी व विधि सम्मत तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने माल गोरधनपुरा, राजपुराखालसा व बाबड तीनों गांवों की जमीन का वाद प्रस्तुत किया था प्राथमिक डिक्री भी तीनों गांवों के जमीनों के बाबत पारित की थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अंतिम डिक्री व निर्णय में माल बाबड, तहसील छीपाबडोद की आराजीयात का बंटवारा ही नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारान के मध्य बंटवारा कर उन्हें पृथक पृथक बंटवारे में नहीं दी। न्यायालय द्वारा आदेशित तहसीलदार मौके पर नहीं गये, ना ही पक्षकारान को मौके पर तलब किया गया। पक्षकारान मुकदमा की उपस्थिति में Palition Scheme तैयार नहीं की, बल्कि फोरी तौर पर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया जो तहसील ने तैयार भी नहीं किया। विवादित आराजीयात माल गोरधनपुरा, तहसील छीपाबडोद में 10 बीघा 2 बिस्वा माल राजपुराखालसा, तहसील छीपाबडोद में 41 बीघा 1 बिस्वा माल बाबड, तहसील छीपाबडोद में 6 बीघा 9 बिस्वा कुल 57 बीघा 11 बिस्वा होता है जिसमें अपीलार्थीगण को 1/7 हिस्से का हिस्सेदार होना घोषित किया है लिहाजा अपीलार्थीगण के हिस्से में 8 बीघा 4 बिस्वा होती है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में उन्हें सिर्फ 3 बीघा 16 बिस्वा आराजीयात हिस्से में दिया जाना दर्ज किया है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत नहीं है। विवादित आराजीयात का बंटवारा वादपत्र में वर्णित पक्षकारान के मध्य ही संभव था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसके इतर अन्य लोगों को भी विवादित जमीन का बंटवारा कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवारा करते समय आपत्तियां नहीं सुनी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना नहीं की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री व निर्णय दिनांक 12.07.2017 निरस्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.01.2021 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादपत्र तथा निर्णय दिनांक 07.08.2008 में तीन गांव माल गोरधनपुरा, माल राजपुरा खालसा, माल बाबड की कृषि भूमि का उल्लेख है, लेकिन बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.05.2017 में गोरधनपुरा तथा राजपुरा खालसा की आराजी का ही उल्लेख है। माल बाबड की भूमि का बंटवारा नहीं किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.04.2017 से प्रकट है कि अप्रार्थीगण की तलवी हेतु पत्रावली नियत की गई। लेकिन दिनांक 13.07.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प गोरधनपुरा पर पत्रावली का निस्तारण कर दिया गया। उक्त केम्प में बिना पक्षकारान की उपस्थिति में तहसील के बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी गई।

अधीनस्थ न्यायालय में जो बंटवारा प्रस्ताव पेश किया गया है वो पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है व तहसीलदार के द्वारा प्रमाणित किया गया है जबकि राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) के नियम 1955 के नियम 18 से 21 में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने बाबत निर्देश है कि तहसीलदार को स्वयं मौके पर जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्षकारान के हस्ताक्षर नहीं है और न ही यह अंकित किया गया है कि उभयपक्षकारान ने हस्ताक्षर करने से इंकार किया। बंटवारा प्रस्ताव आने के उपरान्त उभयपक्षकारान को आपत्ति पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इन समस्त तथ्यों के आधार पर अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व राजस्व मण्डल के नियमों की पालना नहीं की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 12.07.2017 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की समुचित रूप से पालना सुनिश्चित करते हुये प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/5/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा